भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2988

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति

2988. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनाकापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय परिसंघों (सीएलएफ) के साथ संगठित किया गया है;

(ग) स्व-सहायता समूहों, वीओ और सीएलएफ द्वारा जुटाए गए ऋण का ब्यौरा क्या है और इन समूहों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का स्तर क्या है;

(घ) क्या इन समूहों को उनके व्यक्तिगत सिबिल स्कोर के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए कोई तंत्र तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) अनाकापल्ली और आंध्र प्रदेश में बनाए गए लखपति दीदियों का ब्यौरा क्या है और उनकी गैर-कृषि उद्यमिता क्षमता, बाजार संपर्क और कौशल विकास में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(च) इन समूहों को प्रदान की गई पूंजीकरण की राशि कितनी है और अन्य निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार समुदाय आधारित निगरानी के संस्थागत तंत्र के माध्यम से निधियों पर नजर रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) अनाकापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश के 28 जिलों और 660 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में यह मिशन सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी (एसईआरपी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) कुल 58.41 लाख परिवारों को 8,34,072 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है। इन एसएचजी को 27,426 ग्राम संगठनों (वीओ), 660 महिला समाख्याओं (क्लस्टर स्तरीय महासंघ - सीएलएफ) और जिला स्तर पर 26 जिला समाख्याओं में संस्थागत रूप दिया गया है।

अनाकापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 4,14,097 ग्रामीण गरीब परिवारों को 39,096 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है, जिन्हें आगे 1,277 ग्राम संगठनों (वीओ) और 24 क्लस्टर स्तरीय महासंघों (सीएलएफ) में संगठित किया गया है।

(ग) 2013-14 से बैंकों द्वारा महिला एसएचजी को प्रदान किए गए ऋण का विवरण तथा महिला एसएचजी द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) का विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) डीएवाई-एनआरएलएम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, एसएचजी को ऋण मुख्य रूप से एसएचजी-बैंक संपर्क कार्यक्रम के तहत समूह-आधारित ऋण मॉडल के माध्यम से प्रदान किया जाता है। बैंक, समूह के प्रदर्शन (ग्रेडिंग), बचत व्यवहार और पुनर्भुगतान के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर एसएचजी की साख-योग्यता का आकलन करते हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला एसएचजी को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक मास्टर सर्कुलर के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण प्रदान किया जाता है। महिला एसएचजी सदस्यों को ऋण संबंधित बैंकों की ऋण नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ङ) आंध्र प्रदेश सरकार ने 21,37,892 एसएचजी सदस्यों को संभावित लखपति दीदी के रूप में चिह्नित किया है, जिनमें से 21,12,195 एसएचजी सदस्यों को अब तक लखपति दीदी बनाया जा चुका है।

अनाकापल्ली जिले में 65,462 एसएचजी सदस्यों को लखपति दीदी बनाया गया है।

अनाकापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एसएचजी महिलाओं की आय बढ़ाने और गैर-कृषि आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, उद्यम संवर्धन, वित्तीय सहायता और बाजार संपर्क सहित अनेक कार्यकलाप प्रदान किए जा रहे हैं।

उद्यम संवर्धन:

i) पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण) आंध्र प्रदेश राज्य में उद्यम संवर्धन गतिविधियों में योगदान देने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

ii) प्रारम्भिक पूंजी लाभार्थियों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और व्यवसाय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

iii) ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स), राष्ट्रीय स्तरीय सरस प्रदर्शनियों और स्थानीय विपणन पहलों जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से महिला उद्यमियों को बाजार संपर्क सहायता भी प्रदान की जाती है।

iv) इसके अतिरिक्त, उद्यमियों के लिए उद्यम पंजीकरण, एफएसएसएआई प्रमाणन, पैन और जीएसटी पंजीकरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, मूल्य श्रृंखला विकास और व्यवसाय नियोजन पर प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(च) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार की परियोजनाओं सहित, एसएचजी को आवर्ती निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के रूप में पूंजीकरण सहायता के रूप में कुल ₹832.88 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। यह सहायता एसएचजी सदस्यों की ऋण और आजीविका आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'स्थायी संसाधन' के रूप में प्रदान की जाती है।

(छ) सरकार एक सुदृढ़ सामुदायिक आधारित निगरानी तंत्र के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। एसएचजी, वीओ और सीएलएफ वित्तीय लेनदेन के अभिलेख व्यवस्थित रखते हैं, जिन्हें एसएचजी मोबाइल बुककीपिंग ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाता है। कार्यक्रम गतिविधियों की आवधिक समीक्षाओं और

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनाकापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं आयोजित की जाती हैं।

****

अनुबंध-I

"दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2988 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जनवरी 2026 तक एसएचजी, वीओ और सीएलएफ द्वारा जुटाए गए ऋण का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19.9
2.	आंध्र प्रदेश	334341.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	211.8
4.	असम	23802.74
5.	बिहार	65367.83
6.	छत्तीसगढ़	11418.47
7.	गोवा	423.31
8.	गुजरात	4253.49
9.	हरियाणा	2577.42
10.	हिमाचल प्रदेश	1324.25
11.	जम्मू और कश्मीर	3063.92
12.	झारखंड	18701.92
13.	कर्नाटक	170866.23
14.	केरल	46056.43
15.	लद्दाख	5.71
16.	लक्षद्वीप	3.8
17.	मध्य प्रदेश	16773.77
18.	महाराष्ट्र	48333.95
19.	मणिपुर	210
20.	मेघालय	715.05
21.	मिजोरम	258.71
22.	नागालैंड	282.7

23.	ओडिशा	61134.33
24.	पुदुच्चेरी	1322.4
25.	पंजाब	749.86
26.	राजस्थान	12346.83
27.	सिक्किम	246.76
28.	तमिलनाडु	110327.55
29.	तेलंगाना	134881.75
30.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9.91
31.	त्रिपुरा	2354.59
32.	उत्तर प्रदेश	11207.77
33.	उत्तराखंड	1673.84
34.	पश्चिम बंगाल	143566.86
	कुल	**1228835.34**

अनुबंध-II

"दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थिति" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2988 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

महिला एसएचजी द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) का विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	एनपीए %
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.45
2	आंध्र प्रदेश	0.6
3	अरुणाचल प्रदेश	3.16
4	असम	0.87
5	बिहार	1.3
6	छत्तीसगढ़	2.08
7	गोवा	1.35
8	गुजरात	4.38
9	हरियाणा	3.77
10	हिमाचल प्रदेश	1.53
11	जम्मू और कश्मीर	1.68
12	झारखंड	0.82
13	कर्नाटक	2.73
14	केरल	2.94
15	लद्दाख	0
16	लक्षद्वीप	0
17	मध्य प्रदेश	2.42
18	महाराष्ट्र	2.82
19	मणिपुर	3.39
20	मेघालय	7.08
21	मिजोरम	4.76
22	नागालैंड	1.9

23	ओडिशा	1.39
24	पुदुच्चेरी	4.47
25	पंजाब	2.14
26	राजस्थान	2.7
27	सिक्किम	0.45
28	तमिलनाडु	3.66
29	तेलंगाना	2.1
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.77
31	त्रिपुरा	1.88
32	उत्तर प्रदेश	2.94
33	उत्तराखंड	1.77
34	पश्चिम बंगाल	1.06
	कुल	**1.74**

*****